



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022021-225271
CG-DL-E-19022021-225271

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 704]

No. 704]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

का.आ.768 (अ).—राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 की सं.12)केखंड-3 के उप-खंड 4 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 03.01.2018 की अधिसूचना सां.आ. 48 (ई) के क्रम में भारत सरकार एतद्वारा सुश्री सरोज पांडेय, संसद सदस्य, राज्यसभा को इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित करती है।

[फा.सं.3/1/2020-पटसन]

संजय शरण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**(JUTE SECTION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2021

S.O. 768(E).—In exercise of powers conferred by Sub-Section 4(b) of Section 3 of National Jute Board Act, 2008 (No.12 of 2009) and in continuation to the Notification of the Government of India in the Ministry of Textile S.O. 48 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 03.01.2018, Government of India hereby nominate Ms. Saroj Pandey, Member of Rajya Sabha to serve as member in the National Jute Board for a period of two year from the date of the Notification.

[F.No.3/1/2020-Jute]

SANJAY SHARAN, Jt. Secy.